



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:-एफ-13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/628
जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त /उप निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त।

दिनांक: 14.07.2026

विषय:-विलंबित पंजीकरण हेतु जारी कराये जाने वाली अनुज्ञा की समय सीमा की
वैधता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानन्तर्गत लेख है कि जैसा कि आपको विदित है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) तथा राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (संशोधित 2025) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि (21 दिवस) के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी की अनुज्ञा और विलम्बित शुल्क के आधार पर पंजीयन के प्रावधान निहित है। परन्तु अधिनियम/नियम में आवेदक द्वारा जारी करायी गई अनुज्ञा की समयावधि की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

कपितय जिला रजिस्ट्रारों से पूर्व में भी इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है कि एक बार जारी करायी गई अनुज्ञा की वैधता कितने समय तक मान्य होगी। चूंकि कई बार आवेदनकर्ता समय पर उस अनुज्ञा का उपयोग नहीं कर पाते हैं अथवा कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जिस व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा जारी करायी गई है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और परिवार के अन्य सदस्य उस अनुज्ञा के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते हैं।

उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जारी करायी गई वैध अनुज्ञा को केवल समय व्यतीत हो जाने के आधार पर स्वतः निष्प्रभावी नहीं माना जा सकता। अतः उक्त जारी अनुज्ञा के आधार पर नियमानुसार जन्म अथवा मृत्यु की घटना की सत्यता की जाँच कर पंजीकरण किया जा सकता है। तथापि, यदि अनुज्ञा के आधार पर अत्यधिक विलम्ब के पश्चात पंजीकरण किया जाना प्रस्तावित हो, तो संबंधित जिला रजिस्ट्रार/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

- अनुज्ञा की मूल प्रति एवं उसकी प्रमाणिकता सत्यापित हो।
- अनुज्ञा निरस्त अथवा प्रतिस्थापित न की गई हो।
- संबंधित जन्म/मृत्यु का पूर्व में पंजीकरण/प्रमाण-पत्र जारी न हुआ हो।
- किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा दोहरे पंजीकरण की संभावना न हो।

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/
ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.:
23338446

अतः निर्देशित किया जाता है कि विलम्बित श्रेणी के अर्न्तगत जन्म और मृत्यु की घटना के पंजीयन हेतु जारी कराई गई अनुज्ञा प्राप्त होने के पश्चात जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) की धारा 13 (2)(3) तथा राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 (संशोधित 2025) के नियम 9 (2)(3) के प्रावधान अनुसार समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को घटना की सत्यता एवं संतुष्टि उपरान्त नियमानुसार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव